राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 317/2025

जसा राम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 984, कुम्हारो का बास, वीपीओ जवाली, तहसील रानी, जिला पाली, वर्तमान में राजकीय मथुरा दास माथुर अस्पताल, जोधपुर (राजस्थान) में नर्सिंग अधिकारी (यूटीबी) के पद पर पदस्थापित।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू), झालाना डूंगरी, घाट की गूनी, जयपुर-302004।
4. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय मथुरा दास माथुर अस्पताल, जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर-305001, इसके सचिव, के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/145/2025 दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 352/2025

गोपाल कृष्ण पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 6, राजेंद्र नगर, महिला पुलिस थाने के सामने, पाली (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू), झालाना डूंगरी, घाट की गूनी, जयपुर-302004।
4. प्राचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली।
5. अधीक्षक, राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय, पाली।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर – 305001, अपने सचिव के माध्यम से,।

----प्रतिवादीगण

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/145/2025 दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री यशपाल खिलेरी
प्रतिवादीगण के लिए : श्री तनुज जैन,
श्री मुकेश दवे, डीवाई.जी.सी. के लिए

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

09/01/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति प्रदान की जाए।

2. मामले के तथ्यों का उल्लेख किए बिना, बिल्कुल प्रारंभ में ही, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का पूरा जोर इस बात पर है कि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (जेआरएन) से वर्ष 2005 में पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के उच्च माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष मानकर इसका लाभ पाने के हकदार हैं, क्योंकि ये प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

3. बिल्कुल प्रारंभ में ही, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, (आईएएसई) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एस.बी. सिविल रीट याचिका संख्या **5531/2015** नामक मामले में दिए गए निर्णय

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/145/2025 दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

का संदर्भ दिया, जिसे यद्यपि अंतर-न्यायालयीय अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है, लेकिन चूंकि इस पर कोई स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि इसके आलोक में, याचिकाकर्ताओं को जेआरएन द्वारा प्रदान की गई उनकी विश्वविद्यालय की डिग्री/प्रमाणपत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, पूर्व मे, जेआरएन द्वारा पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए एक अभ्यर्थी को नियुक्ति का लाभ दिया गया था, और यहां याचिकाकर्ताओं के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया जा रहा है।

5. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता से न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने तर्क दिया कि जेआरएन से पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं दिया गया है। सैन जेआरएन ऐसा कोई भी पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र या डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान नहीं है/था। इसलिए, उनका तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र को उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र के समकक्ष मानने के लिए प्रस्तुत समतुल्यता का तर्क अप्रासंगिक है।

6. प्रतिद्वंदी तर्कों को सुनने और केस पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि चूँकि बोर्ड ने स्वयं जेआरएन द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र को सीनियर हाई सेकेंडरी के समकक्ष माना है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, चूँकि जेआरएन द्वारा प्रदान किया

गया प्रमाणपत्र ही पूर्वोक्त निर्णय द्वारा अमान्य ठहराया गया है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जेआरएन के पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र को प्रदान की गई समकक्षता से उत्पन्न दावा पूरी तरह से निरर्थक है।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य अभ्यर्थी, जिसे जेआरएन द्वारा जारी पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र का लाभ दिया गया था, पर दिया गया संदर्भ और आश्रय भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह आईएएसई में दिए गए निर्णय से पहले का मामला है।

8. इस प्रकार मैं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए पक्ष से सहमत हूं।

9. परिणामस्वरूप, याचिका सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

10. तथापि, यदि आगामी चरण में, लंबित अंतर-न्यायालय अपील में यह निर्णय दिया जाता है कि जेआरएन द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिए गए प्रमाण-पत्र को कोई मान्यता दी जानी है, तो याचिकाकर्ता को भविष्य में इसका लाभ लेने की स्वतंत्रता होगी।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निस्तारित समझे जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

128, 130-धनंजय एस/ एसकेएम/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate